18. अतः, हमारी यह बेहिचक और स्पष्ट राय है कि सभी अपीलार्थी और समान परिस्थिति वाले न्यायिक अधिकारी, फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि के फायदे की गणना पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के अवधारण के लिए उनके सेवाकाल में कराने के हकदार हैं ।

19. तद्नुसार अपीलें मंजूर की जाती हैं और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2018] 4 उम. नि. प. 247

मनोज कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

सुरिन्द्र सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तथा

रंगील सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

15 मई, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304, भाग 2, धारा

300 अपवाद 4 और धारा 302 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध/हत्या – अभियुक्तों और मृतक-पक्ष के बीच भूमि विवाद के संबंध में कहासुनी – अचानक हुए लड़ाई-झगड़े में अभियुक्तों द्वारा मृतक को क्षतियां कारित किया जाना – क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाना – अभियुक्तों को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – जहां मामले के तथ्यों और साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तों द्वारा मृतक को क्षतियां उनके बीच अचानक हुए लड़ाई-झगड़े और आवेश की तीव्रता में किसी पूर्व-चिंतन और मृत्यु कारित करने के आशय के बिना कारित की गई हो वहां अभियुक्तों को धारा 300 के अपवाद 4 का फायदा देते हुए धारा 304 के भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थियों और मृतक-पक्ष के बीच कुछ भूमि को लेकर विवाद चल रहा था । मृतक ने उक्त भूमि में अपीलार्थियों के हस्तक्षेप से परेशान होकर एक सिविल वाद फाइल किया और उन्हें विवादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण करने के लिए अवरुद्ध कर दिया था । शिकायतकर्ता-जीवन (अभि. सा. 12) तारीख 24 मार्च, 2004 को लगभग 8.30 बजे अपराह्न में अपने पिता प्रेम दास, जो निकटवर्ती गांव गया था, की तलाश में अपने घर से गया और छेडू नामक गांव के निकट अपने पिता प्रेम दास को यशवंत सिंह (अभि. सा. 13) और नसरो राम (प्रति. सा. 1) के साथ पाया । जब वे सभी अपने गांव लौट रहे थे तो वे विवादग्रस्त भूमि से होकर गुजरे, जहां उन्होंने अपीलार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों, कुल सात व्यक्तियों को पाया । उन्होंने एकदम अचानक प्रेम दास पर आक्रमण कर दिया । मनोज कुमार (अभि. सा. 4) बेलचा लिए हुए था, सुरिन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) एक दरांत लिए हुए था और अन्य अभियुक्त लाठियों से लैश थे । मनोज कुमार (अभि. सा. 4) ने प्रेम दास के सिर पर बेलचे से एक प्रहार किया और सुरिन्द्र सिंह ने दरांत से प्रहार करके उस पर वाद किया, जिससे प्रेम दास के दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति कारित हुई जबकि अन्य अभियुक्त लाठियों से उसकी पिटाई कर रहे थे । अपनी जान बचाने के लिए मृतक प्रेम दास, यशवंत सिंह (अभि. सा. 13), नरसो राम (प्रति. सा. 1) और शिकायतकर्ता जीवन (अभि. सा. 12) हड़बड़ी में घटनास्थल से भागे, जबकि रशील सिंह (अभि. सा. 1) यह घोषणा कर रहा था कि प्रेम दास को तो अपनी जान गंवानी ही होगी । जीवन (अभि. सा. 12) एक अन्य रास्ते से यशवंत सिंह

(अभि. सा. 13) की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता प्रेम दास को अर्ध-चेतन अवस्था में पाया और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था । उन्होंने ड्राइवर अशोक कुमार (अभि. सा. 2) को उसकी मारुति वैन सहित बुलाया और क्षतिग्रस्त प्रेम दास को पुलिस थाना, सिहुंटा लाए और एक रिपोर्ट दर्ज की । तद्नुसार, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 45 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए) रजिस्ट्रीकृत की गई । पुलिस ने क्षतिग्रस्त प्रेम दास को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिहुंटा भेजा, जहां डा. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 4) ने उसकी चर्चा की और चिकित्सीय विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) जारी किया । चूंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे बेहतर उपचार के लिए राजिन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, धर्मशाला रेफर किया गया, तथापि, रास्ते में यह नोटिस किया गया कि आहत अपने पुत्र जीवन के पुकारने का उत्तर नहीं दे रहा था । कुछ अनहोनी को भांपकर उसे डा. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 4) के पास वापस लाया गया, जिसने परीक्षण करने पर यह घोषणा की कि उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई है । अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 323, 302 और 506/149 के अधीन आरोप विरचित किए गए । सेशन न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्तों की विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा । अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले की संपूर्ण परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अचानक एक मौखिक झगड़ा हुआ था और स्पष्ट तौर पर मृतक पर आक्रमण करने की कोई पूर्व विमर्शित योजना नहीं थी । दोनों परिवारों के बीच पहले से लंबित सिविल विवादों को देखते हुए, एक छुट-पुट कहा-सुनी उभर कर अचानक शारीरिक हमले में तब्दील हो गई । अभि. सा. 5 डा. अरविंद कुमार के साक्ष्य पर दृष्टिगत करना महत्वपूर्ण है, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी और उसके अनुसार दाएं कान के ऊपर दाएं पार्श्वकपालीय भाग पर 4 इंच और 10 इंच आकार का विदीर्ण घाव था और 1 इंच आकार का एक अन्य विदीर्ण घाव दाईं तर्जनी अंगुली पर था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि "मस्तिष्क संकुलित पाया गया था, तो भी खोपड़ी पर कोई अस्थिभंग दिखाई नहीं दिया ।" यद्यपि, उसने

प्रतिपरीक्षा में एक स्थान पर यह कथन किया कि खोपड़ी पर क्षति सं. 2 "गंभीर" हो सकती है जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ । इस विशिष्ट तथ्य का मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है । ऐसी क्षति कारित करने के संबंध में अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि यह क्षति धारदार वस्तु से प्रहार करके कारित की जा सकती है और खोपड़ी पर क्षति की गहराई बल और आवेग पर निर्भर करती है । यह साक्षी इस बात पर कायम रहा कि यह "खोपड़ी पर क्षति" थी न कि "कपाल पर" । इसके अतिरिक्त, उसने सिर पर क्षति की गहराई को नहीं नापा था जो कि क्षति के वर्गीकरण के लिए आवश्यक थी । उपरोक्त राय से यह दर्शित होता है कि खोपड़ी पर क्षति सं. 2 के परिणामस्वरूप रक्तस्राव हुआ था जिसे सम्यक् रूप से गणना में नहीं लिया गया है । इसके अतिरिक्त, हमले के आवेग और गुरुत्व से यह उपदर्शित होता है कि पूर्वोक्त हमला एक खुली लड़ाई में इस पर्याप्त ज्ञान के साथ किया गया था कि मृतक की मृत्यु कारित होना संभाव्य है । यदि ऐसी क्षति कारित करके उसका आशय मृतक की हत्या करना होता, तो उसने आयुध का प्रयोग पर्याप्त बल से किया होता और इस मामले में, निश्चित तौर पर, कपालीय अस्थिभंग कारित करते हुए एक गहरी क्षति कारित हुई होती । यह न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए इस विशिष्ट पहलू को थोड़ा महत्व देने के लिए आबद्ध है । प्रस्तुत मामले में, मृत्यु तत्क्षण नहीं हुई है, अपितु मृतक की मृत्यु रक्तस्राव के कारण कुछ समय के पश्चात् हुई थी । जब अभियुक्त-समूह के कई व्यक्तियों ने आयुध लहराते हुए मृतक पर आक्रमण किया हो, यह देखकर हैरानी होती है कि केवल दो क्षतियां और वह भी केवल दो साधारण क्षतियां पहुंची हैं ; वास्तव में, एक ऐसी साधारण क्षति कुछ समय बाद घातक सिद्ध हुई । इस परिस्थिति से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी का मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, यद्यपि उसे यह ज्ञान था कि उसके द्वारा मृतक की खोपड़ी पर क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किए गए आयुध से उसकी मृत्यु हो सकती । किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय के अभाव में, यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की व्याप्ति के अंतर्गत नहीं आता है, अपितु यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग-2 के अंतर्गत आता है । अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी मनोज कुमार, रंगील सिंह और सुरिन्द्र सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी हैं न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन । इसलिए भारतीय दंड संहिता की

धारा 300 के अधीन उनकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है । तद्नुसार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को उपांतरित करते हुए दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है । तथापि, हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थियों ने पहले ही 11 वर्ष 6 महीने से अधिक की अवधि का कारावास भुगत लिया है, परिणामतः, यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थियों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा कर दिया जाए । (पैरा 25, 28, 30, 31 और 32)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5428 :
देव नाथ राय बनाम **बिहार राज्य और अन्य आदि** ; 27

[2009] (2009) 9 एस. सी. सी. 1 :
कामिलो वाज बनाम **गोवा राज्य** ; 26

[2004] (2004) 11 एस. सी. सी. 395 :
श्रीधर भुयां बनाम **उड़ीसा राज्य** । 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 795 और इसके साथ 2011 की दांडिक अपील सं. 796 तथा 797.

2006 की दांडिक अपील सं. 312 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के तारीख 20 नवम्बर, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री शिव राम शर्मा, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद और पुखरामबम रमेश कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अभिनव मुखर्जी अपर महाधिवक्ता (सुश्री) बिहु शर्मा, सिद्धार्थ गर्ग और अजय मारवाह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – ये अपीलें विशेष इजाजत लेकर 2006 की दांडिक अपील सं. 312 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 20 नवम्बर,

2009 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध सेशन न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 341 और 323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए यथा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा है ।

2. इन अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक तथ्य, जो अभियोजन पक्षकथन से लिए गए हैं, इस प्रकार हैं कि जराम सिंह (अभि. सा. 1) और अन्य व्यक्ति भूमि, जिसका खाता/खतौनी सं. 164/200, खसरा सं. 605 है, के स्वामी हैं । उक्त जराम सिंह (अभि. सा. 1) ने पूर्वोक्त भूमि कृष्ण लाल और सुभाष चंद के पास बंधक रखी थी, किंतु भूमि प्रेमदास (मृतक) के कब्जे में थी । उक्त भूमि में अपलार्थियों के हस्तक्षेप से परेशान होकर अभि. सा. 1, जराम सिंह और मृतक प्रेम दास ने अपीलार्थियों के विरुद्ध एक सिविल वाद फाइल किया और तद्द्वारा अपीलार्थियों को विवादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण करने के लिए अवरुद्ध कर दिया गया ।

3. शिकायतकर्ता-जीवन (अभि. सा. 12) तारीख 24 मार्च, 2004 को लगभग 8.30 बजे अपराह्न में अपने पिता प्रेम दास, जो निकटवर्ती गांव गया था, की तलाश में अपने घर से गया और छेड़ू नामक गांव के निकट अपने पिता प्रेम दास को यशवंत सिंह (अभि. सा. 13) और नरसो राम (प्रति. सा. 1) के साथ पाया । जब वे सभी अपने गांव लौट रहे थे, तो वे विवादग्रस्त भूमि से होकर गुजरे, जहां उन्होंने अपीलार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों, कुल सात व्यक्तियों को पाया । उन्होंने एकदम अचानक प्रेम दास पर आक्रमण कर दिया । मनोज कुमार (अभि. सा. 4) बेलचा लिए हुए था, सुरिन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) एक दरांत लिए हुए था और अन्य अभियुक्त लाठियों से लैश थे । मनोज कुमार (अभि. सा. 4) ने प्रेम दास के सिर पर बेलचे से एक प्रहार किया और सुरिन्द्र सिंह ने दरांत से प्रहार करके उस पर वार किया, जिससे प्रेम दास के दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर क्षति कारित हुई जबकि अन्य अभियुक्त लाठियों से उसकी पिटाई कर रहे थे । अपनी जान बचाने के लिए मृतक प्रेम दास, यशवंत सिंह (अभि. सा. 13), नरसो राम (प्रति. सा. 1) और शिकायतकर्ता जीवन (अभि. सा. 12) हड़बड़ी में घटनास्थल से भागे, जबकि रंगील सिंह (अभि. सा. 1) यह घोषणा कर रहा था कि प्रेम दास को तो अपनी जान गंवानी ही होगी । जीवन (अभि. सा. 12) एक अन्य रास्ते से यशवंत सिंह (अभि. सा. 13) की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता प्रेम दास को

अर्ध-चेतन अवस्था में पाया और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था । उन्होंने ड्राइवर अशोक कुमार (अभि. सा. 2) को उसकी मारुति वैन सहित बुलाया और क्षतिग्रस्त प्रेम दास को पुलिस थाना, सिहुंटा लाए और एक रिपोर्ट दर्ज की । तद्नुसार, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 45 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए) रजिस्ट्रीकृत की गई ।

4. पुलिस ने क्षतिग्रस्त प्रेम दास को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिहुंटा भेजा, जहां डा. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 4) ने उसकी चर्या की और चिकित्सीय विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) जारी किया । चूंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे बेहतर उपचार के लिए राजिन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, धर्मशाला रेफर किया गया, तथापि, रास्ते में यह नोटिस किया गया कि आहत अपने पुत्र जीवन के पुकारने का उत्तर नहीं दे रहा था । कुछ अनहोनी को भांपकर उसे डा. प्रवीण कुमार (अभि. सा. 4) के पास वापस लाया गया, जिसने परीक्षण करने पर यह घोषणा की कि उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई है ।

5. अन्वेषक अधिकारी, प्रताप सिंह (अभि. सा. 18) ने मृतक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मृतक के फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को बुलाया, मृत्यु-समीक्षा (प्रदर्श पी-11/ए) की और शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा । इसके पश्चात्, उसने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18/ए) बनाया, क्षतिग्रस्त यशवंत सिंह (अभि. सा. 13) की चिकित्सादृष्ट्या परीक्षण कराया और उसकी रक्तरंजित कमीज (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/बी) अभिगृहीत की । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का दौरा किया और रक्तरंजित मिट्टी, पत्थर (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ए) एकत्रित किए और अभियुक्त-5 के कब्जे से बेलचा (प्रदर्श पी-2) एक दरांत (प्रदर्श पी-1) और लाठियां (प्रदर्श पी-3) अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 17/ए) द्वारा बरामद किए । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 (रंगील सिंह) के कब्जे से उसके रक्तरंजित वस्त्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ए) बरामद किए और उन्हें न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजा ।

6. अन्वेषण पूर्ण होने पर मामला विद्वान् उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, डलहौजी को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उसे आगे विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चंबा के सुपुर्द किया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149, 148/149, 341/149, 323/149, 302/149 और 506/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए । रंगील सिंह (अभियुक्त सं. 1), मोहिन्द्र सिंह

(अभियुक्त सं. 4), रेखा देवी (अभियुक्त सं. 5), वीणा देवी (अभियुक्त सं. 6) और बियासो देवी (अभियुक्त सं. 7) ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए कुल 18 साक्षियों की परीक्षा की और एक साक्षी प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पूर्ण रूप से विचारण करने के पश्चात् यह राय बनाई कि अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 506/149 के सिवाय उन सभी अपराधों का दोषी होना साबित किया गया है, जिनसे उन्हें आरोपित किया गया था । तद्नुसार, उन्हें नीचे उपदर्शित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया और यह निदेश दिया गया कि सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

अभियुक्त का नाम	धारा	दंड
सभी अभियुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302	प्रत्येक को आजीवन कारावास और 10,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में उनमें से प्रत्येक दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दायी होगा ।
सभी अभियुक्त	भारतीय दंड सहिता की धारा 147	प्रत्येक को छह माह का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में उनमें से प्रत्येक दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दायी होगा ।

सभी अभियुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 148	प्रत्येक को छह माह का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में उनमें से प्रत्येक दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दायी होगा ।
सभी अभियुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323	प्रत्येक को छह माह का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में उनमें से प्रत्येक दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दायी होगा ।
सभी अभियुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 341	प्रत्येक को एक माह का साधारण कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा ।

7. विचारण न्यायालय के उन कारणों का संक्षेप में उल्लेख करना सुसंगत होगा, जिनके आधार पर इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया :–

"(i) साक्षियों का संपत्ति में हित होने या मृतक के घनिष्ठ मित्र होने के कारण वे हितबद्ध साक्षियों के रूप में अर्हित नहीं होते हैं ।

(ii) उन दो साक्षियों की परीक्षा न कराया जाना, जिनके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वे मृतक के साथ थे, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

(iii) प्रति. सा. 1 ने उस घटना से इनकार नहीं किया है जिसमें अभियुक्त द्वारा मृतक की पिटाई की गई थी ।

(iv) न्यायालय प्रति. सा. 1 द्वारा समाविष्ट किए गए वृत्तांत का अवलंब नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके कथनों में विरोधाभास है ।

(v) बेलचे (प्रयुक्त किया गया अभिकथित आयुध) पर पाए गए रक्त के धब्बे अपराध करने के सूचक हैं ।

(vi) मृतक के विसरा में कोई एल्कोहल नहीं पाई गई थी ।

(vii) अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है ।"

8. व्यथित अभियुक्तों ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी अपील को भागतः मंजूर करते हुए अभियुक्त मोहिन्द्र सिंह (अभि. सा. 2), बियासो देवी (अभि. सा. 7), रेखा देवी (अभि. सा. 5) और वीणा देवी (अभि. सा. 6) को उन्हें संदेह लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया । तथापि, उच्च न्यायालय ने रंगील सिंह (अभि. सा. 1), सुरिन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) और मनोज कुमार (अभि. सा. 4) के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश की निम्नलिखित आधारों पर अभिपुष्टि की :–

"(i) अपराध का हेतु पूर्ववर्ती भूमि विवाद के कारण था ।

(ii) प्रति. सा. 1 का कथन विश्वसनीय नहीं था ।

(iii) अभियुक्त सं. 1 के वस्त्रों पर पाया गया रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल रखता है ।

(iv) उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि परिवार के अन्य असंबद्ध सदस्यों को अपराध में फंसाने की सीमा तक अभियोजन का पक्षकथन अतिरंजित है ।"

9. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर मनोज कुमार (2017 की दांडिक अपील सं. 795), सुरिन्द्र सिंह (2011 की दांडिक अपील सं. 796) और रंगील सिंह (2011 की दांडिक अपील सं. 797) इस न्यायालय के समक्ष अपील में आए हैं । हम इस सामान्य आदेश द्वारा इन अपीलों का निपटारा करेंगे, क्योंकि सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों ने एक ही सामान्य आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है ।

10. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के भागों के संबंध में हमें अभिलेख पर के साक्ष्य को पढ़वाते हुए यह तर्क दिया कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन पक्षकारों के बीच लंबित सिविल मुकदमेबाजी के हेतु पर आधारित है और इस बात का कतई कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थियों का मृतक और उसके दल पर दिए गए स्थान और समय पर आक्रमण करने का पूर्व-चिंतन था, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, घटना विवादग्रस्त संपत्ति के निकट घटी थी और यह संपत्ति इस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते से मृतक को गांव जाना था और इससे यह दर्शित होता है कि मृतक विवादग्रस्त संपत्ति पर अपीलार्थियों पर आक्रमण करने या अपीलार्थियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अन्यथा नष्ट करने के लिए पहुंचा था । विद्वान् काउंसेल ने इसके पश्चात् यह दलील दी कि जहां कई सारे अभियुक्त-व्यक्तियों ने विभिन्न आयुधों से और मृतक को जान से मारने के आशय से उस पर आक्रमण किया हो, वहां मृतक के शरीर पर नगण्य साधारण क्षतियों की मौजूदगी से मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय की मौजूदगी का समर्थन नहीं होता है जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 300 के अधीन दंड दिया जा सके । विद्वान् काउंसेल ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य का भी अवलंब लिया ।

11. दूसरी ओर, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और इस न्यायालय के समक्ष इन अपीलों को खारिज करने की ईप्सा की ।

12. दोनों पक्षों की ओर से तर्कों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया । विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न, जिस पर

हमारे द्वारा विचार किया जाना है, यह है कि क्या इस अपील में अपीलार्थी-अभियुक्त हत्या की केटि में आने वाले आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दंडित किए जाने के दायी है या नहीं ?

13. अभि. सा. 1 (जराम सिंह) का यह कथन है कि वह मृतक का भाई है । वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसका साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होने के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है । जिस एकमात्र पहलू पर विचार किया जा सकता है, वह भू-संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद है । उसका यह कथन है कि अभियुक्तों ने विवादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक दुकानों का निर्माण कर लिया था और उसने डलहौजी स्थित न्यायालय के समक्ष बेदखली के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था ।

14. अभि. सा. 4 (डा. प्रवीण कुमार) वह डाक्टर था, जिसने मृतक (प्रेम दास) को अस्पताल से रेफर किया था । उसने यह कथन किया है कि रेफर किया गया रोगी शांत, सचेत और समय तथा स्थान के प्रति भली-भांति निश्चित था । उसने यह भी कथन किया है कि क्षति सं. 1 और 2 धारदार आयुध द्वारा कारित की गई प्रतीत होती है, जबकि त्रिकास्थि भाग पर तृतीय क्षति किसी कुंद आयुध द्वारा कारित किए जाने की राय व्यक्त की गई है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि रोगी को उसके पश्चात् आगामी उपचार के लिए राजिन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, धर्मशाला रेफर किया गया था । ढाई घंटे के पश्चात्, मृतक को मृत अवस्था में लाया गया घोषित किया गया था ।

15. अभि. सा. 4 ने प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया कि राजिन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, धर्मशाला को एक्स-रे कराने की उसकी सलाह ओ. पी. डी. रिकार्ड में कहीं भी प्रतिबिम्बित नहीं है । यह उल्लेख करना भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 4 ने यह स्वीकार किया है कि मृतक को स्वास्थ्य केंद्र में एक प्राइवेट वैन में लाया गया था और मृतक उसी यान में अपने घर वापस गया था । यद्यपि, उसने बाद में इस बात से इनकार किया कि मृतक राजिन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय जाने के बजाय अपने घर वापस चला गया था । इस साक्षी ने उपचार के पहलू पर यह कथन किया कि रोगी की हालत अधिक गंभीर नहीं थी ।

16. अभि. सा. 5 (डा. अरविंद कुमार) ने मृतक की खोपड़ी खोलने पर निम्नलिखित रीति में क्षतियों का उल्लेख किया है :–

> "खोपड़ी आवरण खोलने पर दाएं भित्तीय कनपटी क्षेत्र में एक्स्ट्राड्यूरल और सब-ड्यूरल हेमाटोमा दिखाई दिया । आकार फैला

हुआ था । मस्तिष्क संकुलित था, खोपड़ी पर अस्थिभंग दिखाई नहीं दिया ।"

उसकी प्रति-परीक्षा का उल्लेख करना सुसंगत होगा :–

"स्वयं मैंने उल्लेख किया है कि खोपड़ी पर क्षति सं. 2 गंभीर प्रकृति की थी जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ । यह सुझाव नहीं है कि सिर की क्षति पर अस्थि भंग नहीं था । यह सही है कि चिकित्सा विधिशास्त्र पर डा. मोदी की रचना एक नज़ीर है । मैंने डा. मोदी का अठाहरवां संस्करण देखा है जिसमें पृष्ठ 229 पर उन्होंने गंभीर क्षति को परिभाषित किया है । मैं इस परिभाषा से सहमत हूं । मैंने मरणोत्तर परीक्षा के समय आक्रामक आयुध को नहीं देखा था । क्षति सं. 2 डाक्टर के ब्लेड द्वारा कारित की जा सकती है, जो प्रदर्श पी-1 पर मुझे न्यायालय में दिखाई गई है । यह सही है कि क्षति सं. 2 धारदार वस्तु से टकराने से कारित की जा सकती है किंतु यह बल और गति पर निर्भर करता है । .....मैंने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में खोपड़ी पर क्षति की गहराई का उल्लेख नहीं किया है, यह राय व्यक्त करना संभव नहीं था कि यह गंभीर क्षति थी ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

17. मृतक के पुत्र अभि. सा. 12 (जीवन) को अभिकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है । उसने अभियोजन के वृत्तांत को समग्र रूप में दोहराया कि स्वयं उसकी, यशवंत सिंह (अभि. सा. 13), नरसो राम (प्रति. सा. 1) की मौजूदगी में अभियुक्त-पक्ष ने अचानक मृतक पर आक्रमण कर दिया । जब यशवंत सिंह ने मृतक को बचाने के लिए मध्यक्षेप किया तो अभियुक्त-पक्ष द्वारा उसकी भी पिटाई की गई । चूंकि अभियुक्त अभि. सा. 12 (जीवन) की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए वह घटनास्थल से भाग गया । उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा कि मृतक (सिर पर क्षति सहित अनेक क्षतियां पहुंचने के पश्चात्), यशवंत सिंह और नरसो राम घटनास्थल से भाग रहे थे । उपचार के विषय में इस साक्षी ने यह कथन किया कि मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिहुंटा ले जाया गया था, जहां उसका प्रारंभिक उपचार किया गया और फिर धर्मशाला स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया गया । चूंकि मृतक प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, इसलिए उसे वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिहुंटा लाया गया, यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया ।

18. एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी, जो अभिकथित रूप से घटनास्थल पर मौजूद था, अभि. सा. 13 (यशवंत सिंह) है । उसने अभियोजन के वृत्तांत को दोहराया है । यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिहुंटा में उपचार कराने के पश्चात् मृतक को वापस घर ले जाया गया था । चूंकि उसके पश्चात्, मृतक की हालत बिगड़ गई थी, इसलिए उसे वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहुंटा लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया ।

19. अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात्, हमें प्रतिरक्षा साक्षी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है । वास्तव में, प्रति. सा. 1 नरसो राम आरंभ में एक अभियोजन साक्षी था और अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार भी प्रति. सा. 1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था । प्रति. सा. 1 के अनुसार, वह यशवंत सिंह (अभि. सा. 13) के साथ था और जब वे गांव ठुकरला की ओर जा रहे थे, तो 50 गज की दूरी पर उन्हें मृतक प्रेम दास मिला और वे एक शराब की दुकान पर और विवादग्रस्त संपत्ति के निकट गए जिसमें कतिपय दुकानों का निर्माण किया गया था और अभियुक्तों को दुकानों को बंद करते हुए पाया और उस समय मृतक और अभि. सा. 13 अभियुक्त व्यक्तियों को गालियां देने लगे और उसने सुरिन्द्र सिंह और मनोज कुमार को (क्रमशः 2011 की दांडिक अपील सं. 796 और 795 में अपीलार्थी) खाली हाथ घर से आते हुए देखा ।

20. तथापि, उच्च न्यायालय ने प्रति. सा. 1 के साक्ष्य को मृतक और अभि. सा. 13 द्वारा शराब पीने की सीमा तक अविश्वसनीय माना, चूंकि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 18/सी) से मृतक की अंतड़ी में शराब की मौजूदगी उपदर्शित नहीं होती है । इसके सिवाय, उच्च न्यायालय ने प्रति. सा. 1 के कथन पर भागतः विचार किया है । केवल इस कारण कि कतिपय साक्षी के साक्ष्य के एक भाग पर विश्वास नहीं किया गया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका संपूर्ण साक्ष्य त्यक्त हो जाएगा । प्रति. सा. 1 घटनास्थल पर मौजूद था, इस सीमा तक अभियोजन पक्ष के अनुसार भी स्वीकार किया गया है । उसका यह साक्ष्य कि मृतक अपीलार्थियों के समूह को गाली देने लगा जो सुसंगत समय पर मौजूद थे, इस कारण के लिए स्वीकार्य है और मृतक के इस व्यवहार ने अवश्य अपीलार्थियों को प्रतिकार करने के लिए उकसाया होगा । यह मत कुछ सीमा तक प्रतिरक्षा पक्ष के उस अभिवाक् को सिद्ध कर रहा है, जो उनके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है ।

21. तथ्य संबंधी प्रश्नों पर साक्षियों के कथन पर विचार करने के पश्चात्, यह समुचित होगा कि आपराधिक मानववध से संबंधित विधि के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाए । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि साक्ष्य से प्रकट होने वाली प्रतिरक्षा यह है मृतक पक्ष घटनास्थल पर पहुंचा, जहां अभि. सा. 13 ने अभियुक्तों से गाली-गलौज करना शुरू कर दिया, जिससे अचानक लड़ाई हुई और जिसके परिणामस्वरूप मृतक को क्षतियां पहुंचीं और ऐसी स्थिति होते हुए उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहा कि अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से कोई पूर्व-चिंतन नहीं था और संपूर्ण घटना अचानक हुई लड़ाई के कारण घटी थी और उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का अवलंब लेना चाहिए था ।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 निम्नलिखित है :–

> "**अपवाद 4** – आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।"

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के संघटकों के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का समाधान किया जाना चाहिए, अर्थात् :–

> "(i) घटना पूर्व-चिंतन बिना ;
>
> (ii) अचानक लड़ाई में ;
>
> (iii) आवेश की तीव्रता में ;
>
> (iv) अचानक झगड़ा होने पर ; और
>
> (v) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य किए बिना,
>
> घटी थी ।"

24. यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि **श्रीधर भुयां** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

---

[1] (2004) 11 एस. सी. सी. 395.

"भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कृत्य अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से किए बिना किया गया था ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत अचानक हुई लड़ाई में किए गए कृत्य आते हैं । उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे पक्षकथन के संबंध में है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आता हो और जिसके पश्चात् इसका स्थान और अधिक समुचित हो गया होता । यह अपवाद उसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिंतन का अभाव है । किंतु अपवाद 1 के मामले में आत्मसंयम से पूर्णतः वंचित हो जाना है, जबकि अपवाद 4 के मामले में केवल आवेश की ऐसी तीव्रता है जो मनुष्य की सोचने-समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते । अपवाद 4 में अपवाद 1 जैसा प्रकोपन है, किंतु जो क्षति कारित की जाती है वह उस प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है । वास्तव में, अपवाद 4 ऐसे मामलों के संबंध से है, जिनमें इस बात के होते हुए कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद के प्रारंभ होने के लिए कुछ प्रकोपन दिया गया हो या किसी भी प्रकार से झगड़ा प्रारंभ हुआ हो, तो भी दोनों पक्षकारों का पश्चात्वर्ती आचरण दोषिता के संबंध में दोनों पक्षकारों को समान स्थिति में रखता है । "अचानक लड़ाई" से परस्पर प्रकोपन और एक-दूसरे पर प्रहार करना विवक्षित है । जो मानववध कारित किया जाता है उसका फिर एकतरफा प्रकोपन से स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, न ही ऐसे मामलों में संपूर्ण दोष एक पक्ष पर डाला जा सकता है । क्योंकि ऐसी स्थिति में, जो अपवाद अधिक समुचित रूप से लागू होगा, वह अपवाद 1 होगा । लड़ाई करने के लिए कोई पूर्व सोच-विचार या अवधारण नहीं होता है । लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षकार कमोवेश दोषी होते हैं । यह हो सकता है कि उनमें से कोई एक इसकी शुरुआत करता है, किंतु यदि दूसरे ने अपने स्वयं के आचरण द्वारा इसे उभारा नहीं होता तो इसने उतना गंभीर मोड़ नहीं लिया होता जितना इसने लिया । इसके पश्चात् इसमें पारस्परिक प्रकोपन और अपवृद्धि होती है और प्रत्येक लड़ाकू के दोष का अंशीकरण करना कठिन है । अपवाद 4 की सहायता वहां ली

जा सकती है, यदि मृत्यु : (क) पूर्वचिंतन बिना ; (ख) अचानक हुई लड़ाई में ; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य किए बिना, कारित की गई है ; और (घ) लड़ाई अवश्य ही मर गए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए । किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए इसमें वर्णित सभी संघटक पाए जाने चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में उल्लिखित 'लड़ाई' भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है । ताली दोनों हाथों से बजती है । आवेश की तीव्रता के लिए यह अपेक्षित है कि आवेश को शांत होने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में पक्षकार आरंभ में मौखिक कहा-सुनी के कारण उत्तेजना में आ गए थे । लड़ाई दो और अधिक व्यक्तियों के बीच चाहे आयुधों के साथ या आयुधों के बिना, एक भिड़त होती है । कोई ऐसा साधारण नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा होना किसे माना जाएगा । यह एक तथ्य का प्रश्न है और क्या कोई झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं ; आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित किए गए तथ्यों पर निर्भर करेगा । अपवाद 4 को लागू होने के लिए, यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था । यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य नहीं किया था । इस उपबंध में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति से 'अऋजु लाभ' अभिप्रेत है ।

25. इस प्रकार, प्रस्तुत मामले की संपूर्ण परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अचानक एक मौखिक झगड़ा हुआ था और स्पष्ट तौर पर मृतक पर आक्रमण करने की कोई पूर्व विमर्शित योजना नहीं थी । दोनों परिवारों के बीच पहले से लंबित सिविल विवादों को देखते हुए, एक छुट-पुट कहा-सुनी उभर कर अचानक शारीरिक हमले में तब्दील हो गई ।

26. **कामिलो वाज** बनाम **गोवा राज्य**[1] वाले मामले में संहिता की धारा 304 की व्याप्ति को निर्दिष्ट करते हुए इस न्यायालय ने ऐसी ही परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया :–

"यह धारा दो भागों में है । यदि विश्लेषण करें तो इस धारा में

---

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 1.

दो विभिन्न स्थितियों के लिए दो प्रकार का दंड उपबंधित है । (1) यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के लिए आशय से किया जाए । यहां महत्वपूर्ण संघटक 'आशय' है ; (2) यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के आशय के बिना किया जाए । जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर डंडे से शरीर के नाजुक अंग पर इतना बल प्रयोग करके प्रहार करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभियुक्त पर इसका ज्ञान होने का अभ्यारोपण किया जाना चाहिए । इस स्थिति में, मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत आएगा, जैसाकि वर्तमान मामले में है ।"

27. **देव नाथ राय** बनाम **बिहार राज्य और अन्य आदि**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि केवल अभियुक्त-परसुराम ही वह व्यक्ति है जिसने तलवार से मोहन राय पर हमला किया था और जिसके हमले के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति कारित हुई और अंततोगत्वा मोहन राय की उक्त क्षति के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई ।

घटना तब घटी थी जब मृतक विवादग्रस्त भूमि से लौट रहा था और अभियुक्त-व्यक्ति साथ लगे खेत में धान की पौध प्रत्यारोपित करने में व्यस्त थे और उन्होंने वहां से मोहन राय को अपनी भूमि से गुजरते हुए देखा । अभियुक्तों का मृतक की हत्या करने का किसी प्रकार का कोई पूर्वचिंतन नहीं था । तथापि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त-वकील राय आया और मोहन राय से झगड़ा करने लगा और तभी परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए । झगड़ा न केवल अचानक हुआ था अपितु किसी पूर्वचिंतन बिना उग्र हुआ था । जैसाकि उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही निष्कर्ष निकाला गया है, संपूर्ण घटना अनायास थी और हाथ से निकल गई और वह भी क्षण भर में ।

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5428.

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यद्यपि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 302/149 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित करके न्यायोचित किया है, किंतु उसने अभियुक्तों पर कमतर दंडादेश अधिरोपित करके न्यायोचित नहीं किया है ....।"

28. अभि. सा. 5 - डा. अरविंद कुमार के साक्ष्य पर दृष्टिगत करना महत्वपूर्ण है, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की थी और उसके अनुसार दाएं कान के ऊपर दाएं पार्श्वकपालीय भाग पर 4 इंच और 10 इंच आकार का विदीर्ण घाव था और 1 इंच आकार का एक अन्य विदीर्ण घाव दाईं तर्जनी अंगुली पर था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि "मस्तिष्क संकुलित पाया गया था तो भी खोपड़ी पर कोई अस्थिभंग दिखाई नहीं दिया ।" यद्यपि, उसने प्रतिपरीक्षा में एक स्थान पर यह कथन किया कि खोपड़ी पर क्षति सं. 2 "गंभीर" हो सकती है जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ । इस विशिष्ट तथ्य का मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है । ऐसी क्षति कारित करने के संबंध में अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि यह क्षति धारदार वस्तु से प्रहार करके कारित की जा सकती है और खोपड़ी पर क्षति की गहराई बल और आवेग पर निर्भर करती है । यह साक्षी इस बात पर कायम रहा कि यह "खोपड़ी पर क्षति" थी न कि "कपाल पर" । इसके अतिरिक्त, उसने सिर पर क्षति की गहराई को नहीं नापा था जो कि क्षति के वर्गीकरण के लिए आवश्यक थी ।

29. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि सिर पर क्षति के परिणामस्वरूप एक्स्ट्राडयूरल और सब-डयूरल हेमाटोमा हुआ था । हमें इस तथ्य का मान है कि बहुत से मामलों में ऐसी क्षति के ऐसे लक्षण विकसित होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है ।[1] हमें यह भी बताया गया कि ऐसे मामलों में एक विस्तृत मरणोत्तर परीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है और विद्यमान पूर्ववर्ती बीमारी के इतिवृत्त और हालत को जानना महत्वपूर्ण है । इस मामले में, मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा यह सामान्यीकृत कथन किया गया है कि उसने मृतक को कोई विद्यमान बीमारी होने के बारे में नैमित्तिक रूप से पूछताछ की थी । मोदी, चिकित्सा विधिशास्त्र और विष विज्ञान की पाठय-पुस्तक से लिए गए उद्धरण का उल्लेख करना भी सुसंगत हो सकता है, जिसमें यह उल्लिखित

---

[1] मोदी, चिकित्सा विधिशास्त्र और विष विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक, 25वां संस्करण, पृ. 701.

है कि :–

"यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को सिर पर हल्की-सी क्षति से प्रभास्तिष्कीय रक्तस्राव हो सकता है जो पहले से आयु या रोग के कारण इसकी ओर प्रवृत्त है ।" (उक्त दस्तावेज का पृष्ठ 704)

30. उपरोक्त राय से यह दर्शित होता है कि खोपड़ी पर क्षति सं. 2 के परिणामस्वरूप रक्तस्राव हुआ था जिसे सम्यक् रूप से गणना में नहीं लिया गया है । इसके अतिरिक्त, हमले के आवेग और गुरुत्व से यह उपदर्शित होता है कि पूर्वोक्त हमला एक खुली लड़ाई में इस पर्याप्त ज्ञान के साथ किया गया था कि मृतक की मृत्यु कारित होना संभाव्य है । यदि ऐसी क्षति कारित करके उसका आशय मृतक की हत्या करना होता, तो उसने आयुध का प्रयोग पर्याप्त बल से किया होता और इस मामले में, निश्चित तौर पर, कपालीय अस्थिभंग कारित करते हुए एक गहरी क्षति कारित हुई होती । यह न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए इस विशिष्ट पहलू को थोड़ा महत्व देने के लिए आबद्ध है ।

31. प्रस्तुत मामले में, मृत्यु तत्क्षण नहीं हुई है, अपितु मृतक की मृत्यु रक्तस्राव के कारण कुछ समय के पश्चात् हुई थी । जब अभियुक्त-समूह के कई व्यक्तियों ने आयुध लहराते हुए मृतक पर आक्रमण किया हो, यह देखकर हैरानी होती है कि केवल दो क्षतियां और वह भी केवल दो साधारण क्षतियां पहुंची हैं ; वास्तव में, एक ऐसी साधारण क्षति कुछ समय बाद घातक सिद्ध हुई । इस परिस्थिति से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी का मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, यद्यपि उसे यह ज्ञान था कि उसके द्वारा मृतक की खोपड़ी पर क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त किए गए आयुध से उसकी मृत्यु हो सकती है । किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय के अभाव में, यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की व्याप्ति के अंतर्गत नहीं आता है, अपितु यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत आता है ।

32. अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी मनोज कुमार, रंगील सिंह और सुरिन्द्र सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी हैं न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन । इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन

उनकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है । तद्नुसार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को उपांतरित करते हुए दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है । तथापि, हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थियों ने पहले ही 11 वर्ष 6 महीने से अधिक की अवधि का कारावास भुगत लिया है, परिणामतः, यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थियों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

33. तद्नुसार, उपरोक्त निबंधनों के अनुसार इन अपीलों का निपटारा किया जाता है ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.

[2018] 4 उम. नि. प. 267

अमृत पाल सिंह और एक अन्य

बनाम

टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

17 मई, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 149(2) और 66 – पर-व्यक्ति जोखिम – परमिट की आवश्यकता – बीमाकर्ता का दायित्व – परिवहन यान को परमिट के बिना उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से चलाने के कारण हुई दुर्घटना में मृत्यु कारित होना – चूंकि किसी परिवहन यान का परमिट के बिना सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करना मूलभूत कानूनी अतिलंघन है और परमिट की आवश्यकता से संबंधित अपवादों का सहारा प्रतिकर के दायित्व से मुक्ति पाने के लिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अपवादों का अभिवचन करके उसे साबित करना